HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/4746 Jabalpur, dated 29/06/2024
III-6-4/72

Copy of the order no. 1079/2012176/2024/50-2 dated 04.06.2024 issued as per the provisions of Rule 6(7) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules, 2016 by the State Government, Department of Women & Child Development, Bhopal is forwarded to;-

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Acting Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge; Betul for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.

Chouhan 29/06/2024

RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

Scanned

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 4.6.24

क्रमांक 1079/2012176/2024/50-2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (आदर्श संधोधित नियम, 2022) के नियम 6 (7) में किशोर न्याय बोर्ड के कार्य दिवसों के बारे में निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है– "बोर्ड समस्त कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोडों का गठन न किया हो।"

2/ उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, के ज्ञापन, क C/34631/III-6-4/72 दिनांक 30/04/2024 अनुसार राज्य शासन किशोर न्याय बोर्ड में बैठके आयोजित किये जाने निम्नानुसार तालिका के कॉलम 02 में उल्लेखित जिले के किशोर न्याय बोर्ड हेतु कॉलम 03 में कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करता है :-

क्रमांक	किशोर न्याय बोर्ड जिला	बोर्ड की बैठक हेतु निर्धारित दिवस
1	2	3
1	बैतूल	सप्ताह के 02 कार्य दिवस (मंगलवार एंव शुक्रवार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(माधवी नागेन्द्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0कमांक 1080/2012176/2024/50-2 भोपाल, दिनांक 4.6.24

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, (DE) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश ।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय भोपाल ।
5. संभागीय आयुक्त, संबंधित मध्यप्रदेश ।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला सबंधित मध्यप्रदेश ।
7. कलेक्टर जिला सबंधित मध्यप्रदेश ।
8. प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड जिला सबंधित मध्यप्रदेश ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला सबंधित।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सबंधित ।
11. गार्ड फाईल।

-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
26 JUN 2024
Reg No 3368

DAA
26-6